

610
4

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक.....05/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 12/01/2026

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (म.प्र.) (रिक्त न्यायालय)	1- MJC R/600012/2013 शासन वि. अजय कोल 2- ST/42/2022 शासन वि. विनय मिश्रा वगै० 3- ST/143/2024 शासन वि. मुस्कान रावत वगै०	श्री यशपाल सिंह, 16वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा

30/1
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0.....164/

/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 12/01/2026

प्रतिलिपि:-

1. श्री यशपाल सिंह, 16वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा।
2. 19वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (रिक्त न्यायालय) रीवा (म.प्र.) ।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा म.प्र.
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

12/12
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)